

ORDER SHEET

THE COURT

22 of 2016
SPL

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21/12/2016 04:30 to 04:45 P.M	<p>राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी। आवेदक/आरोपी महावीरसिंह द्वारा श्री गब्बरसिंह गुर्जर अधिवक्ता।</p> <p>अनावेदक अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा-451 जा.फौ. का लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया।</p> <p>उभयपक्ष को धारा-451 जा.फौ. सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र पर सुना गया।</p> <p>आवेदक महावीरसिंह की ओर से श्री गुर्जर अधिवक्ता ने काले रंग का नोकिया मोबाइल जिसकाआई.ई.एम.आई. नंबर-355 है, जिसमें आईडियाकंपनी की सिम डली है एवं काले रंग का रैगजीन का पर्स जिसमें 1500 रुपये रखे हैं तथा फोटो एवं परिचय पत्र, ए.टी.एम. है, को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। अपने आवेदनपत्र के समर्थन में उसने मोबाइल प्राप्त करने हेतु शपथपत्र पेश किया है।</p> <p>जिसका विरोध करते हुए ए.जी.पी. ने उक्त मोबाइल आवेदक की सुपुर्दगी पर दिये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि मोबाइल का अपराध में प्रयोग किया गया है। इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।</p> <p>मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक-17/11/2016 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा विनोद छावई ने रोजनामचा सान्हा क्र.-28 पर आमद सूचना की तस्दीख हेतु हमराही पुलिसबल ए.एस.आई. रामकुमार पाठक, ए.एस.आई. सत्यवीरसिंह, ए.एस.आई. दर्शनसिंह, आरक्षक जितेन्द्र यादव क्र0-445, आरक्षक अजीत, आरक्षक जितेन्द्र क्र0-1142 के रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान बिरखडी पेट्रोल पंप पर पहुंचे, तब मुखबिर के बताये हुलिया का एक व्यक्ति पुलिस को देखकर खिसकने लगा, जिसे हमाराही फॉर्स के घेरकर पकड़ा और मौके पर उपस्थित साक्षी रामऔतार गुर्जर, भूपेन्द्र गुर्जर के समक्ष नाम पूछे जाने पर अपना नाम आरोपी/आवेदक महावीरसिंह पुत्र केदार गुर्जर निवासी ग्राम</p>	

गोना थाना बरोही का होना बताया। जिसके हाथ में लिये पिटदू बैग को चैक करने पर बैग में एक 315 बोर का कट्टा, 05 जिंदा कारतूस 315 बोर के, दो चड्डी, दो बनियान, एक जींस का पेंट व एक शर्ट तथा एक स्टील के डिब्बे में घी भरा होना पाया। तथा एक फोटो रखा पाया जिसके संबंध में पूछने पर फरारी ईनामी बदमाश अश्वनी पुरोहित का होना बताया तथा उक्त कट्टे व सामग्री के संबंध में पूछताछ की तो उक्त सामग्री रसत ईनाम बदमाश अश्वनी पुरोहित निवासी ग्राम लावन को देने जाने हेतु दिल्ली जाना बताया तथा कट्टे व कारतूस के संबंध में लाइसेंस चाहे जाने पर नहीं होना बताया। उक्त रसद सामग्री, मय आरोपी/आवेदक महावीर से जब्त कर एवं उक्त अपराध धारा-212, 216 भा.दं.वि० व 11, 13 डकैती अधिनियम व 25 27 आयुध अधिनियम का पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार कर थाना वापिस लाया गया और थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र०-272/2016 पर पंजीबद्ध की गयी।

आवेदक द्वारा जिस मोबाइल को सुपुर्दगी पर चाहा गया है, उसके स्वामी होने के संबंध में रसीद पेश नहीं की गयी है, शपथपत्र अवश्य इस आशय का पेश किया गया है कि रसीद गुम हो गयी है, उक्त मोबाइल घटनास्थल से आरोपी/आवेदक महावीर से जब्त हुआ है। किन्तु मोबाइल ऐसी वस्तु या संपत्ति भी नहीं है जिसके अभाव में आरोपी/आवेदक अपने दैनिक कार्यकालापो में असहजता महसूस करे। एवं आरोपी से एक काले रंग का रैग्जीन का पर्स जिसमें 1500 रुपये एवं एक परिचयपत्र रखा है जब्त किया गया है, उक्त रुपये किस आशय से उसके पास रखे थे, रुपये के संबंध में गुणदोषों पर निराकरण किया जावेगा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है एवं ए.टी.एम. प्रकरण में जब्त नहीं है, एवं जब्त सिम का अपराध में प्रयोग किया गया है। इस प्रकरण आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र के साथ जो भी संपत्ति की को सुपुर्दगी पर दिये जाने की प्रार्थना की गयी है, उनकी साक्ष्य के समय आवश्यकता पडने की भी संभावना है।

अतः बाद विचार आवेदक/आरोपी महावीर द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से **निरस्त किया जाता है।**

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक-12/01/2017 को पेश हो।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(पी०सी० आर्य)

विशेष न्यायाधीश, डकैती, गोहद

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)